न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

:– नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 67/2006 :–

उनवान :– 1. बनवारीलाल पुत्र जीवा जाति यादव

2. कुन्दनलाल पुत्र जीवा जाति यादव निवासी ग्राम तर्सींग मृतक जर्ये वारिसान लीलाराम, हेतराम, धर्मपाल व रामलाल पुत्रान कुन्दनलाल यादव निवासी ग्राम तर्सींग तहसील बहरोड जिला अलवर

:----- अपीलांट सायलान

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

:--- रेस्पो0 गैर सायल

नजरसानी प्रा0 पत्र बाबत अपील सं0 204/04 में पारित निर्णय दिनांक 17.7.06 को निरस्त कराने

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट सायलान :– श्री दाताराम यादव

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 25.10.2019

---

1 यह नजरसानी प्रा0 पत्र अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 204/2004 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 17.7.2006 में निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटस का वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा दिनांक 6.10.2004 को खारिज किये जाने पर वादीगण अपीलांटस ने अदालत हाजा में अपील संख्या 204/2004 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 940 रकबा 2 बीघा है, जिसका हाल खसरा नम्बर 444 रकबा 55 एयर है, जो वाके ग्राम तसींग तहसील बहरोड में है । यह आराजी अपीलांटस व मु0 भूरली की खातेदारी की थ । मु0 भूरली का देहान्त हो चुका है । उसका खातेदारी का इन्तकाल वादीगण अपीलांटस के नाम स्वीकृत हो चुका है । परन्तु बंदोबस्त हाल में इस आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया । वादीगण ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया था, परन्तु गलत तौर पर खारिज कर दिया । अतः अपील स्वीकार की जावे । अदालत हाजा द्वारा उक्त अपील निर्णय दिनांक 17.7.2006 द्वारा खारिज की है । इस निर्णय दिनांक 17.7.2006 के खिलाफ यह नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

3 विद्वान वकील अपीलांटस सायल ने अपने प्रा0 पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि हम सायलान की अपील आराजी मुतनाजा पर अपीलांटस का कब्जा होना नहीं मानते हुये व खसरा परिवर्तनशील की नकल प्रस्तुत ना होने के कारण खारिज की गई थी । उस समय हमारे पास ये नकल उपलब्ध नहीं थी । अब सम्वत 2046, 2047, 2058 व 2059 की खसरा परिवर्तनशील की नकलें इस प्रा0 पत्र के साथ पेश कर दी है, जिनसे हमारा कब्जा साबित है । साथ ही कब्जे बाबत तहसीलदार से भी रिपोर्ट मंगा लें । अतः निवेदन है कि प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील संख्या 204/2004 में पारित निर्णय 17.7.2006 निरस्त किया जावे और अपीलांटस वादीगण का वाद डिक्री किया जावे ।

4 रेस्पो0 गैर सायल राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित होता है । जो तथ्य अपील में उठा लिये गये हैं, उनको पुनः रिव्यू प्रा0 पत्र में नहीं उठाया जा सकता । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही मूल अपील संख्या 204/2004 में पारित निर्णय दिनांक 17.7.2006 का भी अवलोकन किया । अपीलांटस सायल ने अपने इस प्रा0 पत्र

25/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

में निवेदन किया है कि कब्जे के सबूत में खसरा परिवर्तनशील की नकलें, जो मूल अपील में सुनवाई के समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी, अब प्रस्तुत की जा रही है और कब्जे की रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की जावे । अपीलांटस के इन तर्कों के सम्बन्ध में अदालत हाजा का विनम्र मत है कि कब्जे के सम्बन्ध में पूर्व में ही मूल अपील में पारित निर्णय दिनांक 17.7.2006 में विस्तृत विवेचना की जा चुकी है, जिसे अपीलांटस अब रिव्यू प्रा0 पत्र में नहीं उठा सकता । रिव्यू का स्कॉप बहुत ही सीमित होता है । रिव्यू के प्रा0 पत्र में वही तथ्य उठाये जा सकते हैं, जो मूल प्रकरण में सुनवाई के समय न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया हो । प्रस्तुत प्रा0 पत्र में अपीलांटस सायल ने जो तथ्य प्रकट किये हैं, वे मूल अपील में पहले की विवेचित किये जा चुके हैं । लिहाजा यह प्रा0 पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदे श है कि अपीलांटस सायल का यह प्रा0 पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर